

राज्य स्तरीय
एन०पी०के०/सुक्ष्म पोषक तत्व विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र
(जाँच-पत्र)

1. प्रपत्र- D दो प्रतियाँ।
2. आवेदक के आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. आवेदक के पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
5. पंजीयन शुल्क रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- 6- शपथ पत्र(नोटराइज्ड) जिसमें उल्लेख हो कि :-
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडित नहीं हुआ हूँ।
 - (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हुआ है।।
 - (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ है।
7. निर्माता कम्पनियों के उद्योग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
8. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन की प्रति अथवा यदि स्वयं का फर्म है तो शपथ पत्र(नोटराइज्ड)।
9. FCO-1985 की धारा-21-ए में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध रहने का शपथ-पत्र(नोटराइज्ड)।
10. प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त रसायनज्ञ का योग्यता प्रमाण पत्र।
11. रसायनज्ञ के नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
12. विनिर्माता/पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र। (नमूना फॉर्मेट संलग्न)
13. जी० एस० टी० प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
14. अपने प्रतिष्ठान में माप-तौल कार्यालय से स्वयं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले माप-तौल उपकरणों का अद्यतन सत्यापन प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति।
15. पर्यावरण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
16. विनिर्माण परिसर/गोदाम का लीज एग्रीमेंट (1000 रू० के स्टाम्प पेपर पर)/स्वयं की भूमि है तो प्रमाण पत्र का स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति।
17. जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन(कार्यालय हेतु)।
18. सभी उर्वरक हेतु उर्वरक पैकेट पर अंकित सूचनाओं को दर्शाता 18"×4" साईज का फोटो।
19. सभी छायाप्रति कागजात स्वअभिप्रमाणित प्रति।